(17909) 11 642/17 क 17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-1-

AA 558863

न्यास विलेख

10 OCT 2017

मै श्याम पचौरी पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा आयु 42 वर्ष निवासी 18-ए, जगन्नाथपुरी कालोनी, कमता, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश जिसको इस प्रलेख का संस्थापक न्यास कर्ता (मुख्य न्यासी) कहा गया है, इस प्रलेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूं।

न्यास का नाम – आर0 एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट

न्यास का पता – 18–ए, जगन्नाथ पुरी कालोनी, कमता, चिनहट लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विदित हो कि मैंने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया गया है। इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षणिक संस्थायें खोलना एवं उनकी सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 से मान्यता/सम्बद्धता लेना, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यवसायिक शिक्षा, आवासीय विद्यालय, चिकित्सालयों, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कालेज, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, बी0एड0 कालेज, बी0टी0सी0 कालेज, प्राइवेट आई0 टी0 आई0, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जनसेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय के कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यो के लिए

Managing Director
Aaditum College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्रम संख्या 10852

स्टाम्प विक्रय की तिथि 30/10/19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 500/-

[illegible]

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क-117
3

[redacted]

श्याम पचौरी
Shyam Pachouri
जन्म तिथि/ DOB: 17/09/1975
पुरुष / MALE

5859 6478 0877

मेरा आधार, मेरी पहचान

mob: 9140670161

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

पता:
S/O सुरेश चन्द्र, 18ए जगन्नाथपुरी कॉलोनी, कमता चिनहट, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226028

Address:
S/O Suresh Chandra, 18A Jagannathpuri Colony, Kamta Chinhat, Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226028

5859 6478 0877

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AVSPS0606Q

नाम / Name
SHYAM PACHOURI

पिता का नाम / Father's Name
SURESH CHAND SHARMA

जन्म की तारीख / Date of Birth
17/09/1975

हस्ताक्षर / Signature

Mob! - 9140670161

[illegible]

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to :

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
5th Floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016.

Tel: 91-20- ... -20-2721 8081

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

[redacted]

शैलेंद्री शर्मा

Shailendri Sharma

जन्म तिथि/ DOB: 05/06/1974

महिला / FEMALE

7122 0203 7918

मेरा आधार, मेरी पहचान

शैलेन्द्री शर्मा

AADHAAR

[redacted] आधार प्राधिकरण

[redacted] OF INDIA

पता:
W/O श्याम पचौरी,
६३२/१८ -ए जगन्नाथ पुरी
कालोनी, कमता, चिनहट,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 227105

Address:
W/O Shyam Pachouri, 632/18 - a
jagannath puri colony, kamata,
CHINHAT, Lucknow,
Uttar Pradesh - 227105

7122 0203 7918

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to:
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
1st Floor, Times Tower,
Kamala Mills Compound,
S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

Tel: 91-22-2499 4650, Fax: 91-22-2495 0664,
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

का-17/6

[redacted]

बृज राज सिंह
Brij Raj Singh
जन्म तिथि/ DOB: 15/11/1981
पुरुष / MALE

9909 6341 0466

मेरा आधार, मेरी पहचान

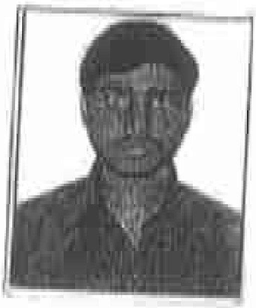

[redacted]

पता:
S/O राम भरोसे सिंह, १५२
सीमांत नगर, कल्याणपुर,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226022

Address:
S O Ram Bharose Singh, 152
SIMANT NAGAR, kalyanpur,
Lucknow,
Uttar Pradesh - 226022

B.R
Brij Raj Singh
9336006000

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

07-17
7

[redacted]

जॉर्ज एन्थोनी डायसन
Jeorge Anthoni Dyason
जन्म तिथि/ DOB: 20/09/1996
पुरुष / MALE

8451 9681 5425

आधार-आम आदमी का अधिकार

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

पता:
S/O डेविड डायसन, ग्वारी का पुरवा, मीरा उजरियांव, रामा चक्की, विकास खण्ड - 4, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010

Address:
S/O David Dyson, GVARI KA PURWA, MIRA UJARIYAVA, RAMA CHAKKI, VIKAS KHAND - 4, GOMTI NAGAR, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010

8451 9681 5425

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

J.A. Dyason
7275 973354

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपयोग किया जायेगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें की गयी हैं:--

1. यह कि न्यास का गठन रु0 11000.00 से आरम्भ किया गया।

2. यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय 18--ए, जगन्नाथ पुरी कालौनी, कमता, चिनहट लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश व प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेगी और उन कार्यालयों के पते उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3. श्याम पचौरी के त्याग पत्र अथवा निधन के पश्चात रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप मेरे मुख्य न्यासी (श्याम पचौरी) के उत्तराधिकारी मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेंगे।

4. यह कि मैं श्याम पचौरी उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूंगा तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का अध्यक्ष भी कहा जाऊंगा। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूं। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

10853

30/10/17

11-3-2021

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यासियों से मैंने न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास गठित में करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों का संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा। भविष्य में भी संस्थापक मुख्य न्यासी की रूप में मेरे जीवन पर्यन्त मेरे द्वारा स्व विवेक से अन्य लोगों को न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में नामित किया जाने का अधिकार मेरे द्वारा सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिये जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

न्यासमण्डल के न्यासियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री श्याम पचौरी	स्व. सुरेश चन्द्र शर्मा	अध्यक्ष (मुख्य न्यासी)	18–ए, जगन्नाथपुरी कालोनी, कमता, चिनहट, लखनऊ	व्यापार	
2.	श्रीमती शैलेन्द्री शर्मा	पत्नी श्री श्याम पचौरी	उपाध्यक्ष (न्यासी)	18–ए, जगन्नाथपुरी कालोनी, कमता, चिनहट, लखनऊ	गृहणी	शैलेन्द्री शर्मा

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री श

[illegible] 10252

[illegible] 30/10/17

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1057

[illegible]

31-3-20[illegible]

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

5. न्यास के उद्देश्य –

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. प्रस्तुत प्रलेख के अन्तर्गत गठित किये जा रहे इस न्यास का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय के सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक, कलात्मक, अध्यात्मक, बौद्धिक विकास करना है। न्यास के अन्तर्गत सामाजिक उत्थान एवं विकास शिक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता की दृष्टि से सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों को तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को जनहित में बिना लाभ के संचालित किया जायेगा।

2. न्यास के माध्यम से समाज कल्याण उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य विकास मंत्रालय नारी कला केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना, ग्राम विकास योजना, एवं बाल विकास परियोजनाओं का संचालन में सहयोग प्रदान करना तथा महिला समूहों का गठन करना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना तथा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड, यूनीसेफ, सिफसा, सूडा, डूडा, हेल्पज इण्डिया, एपैक्स इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

3. निर्धन, निराश्रित, पिछड़े, दृष्टिहीन, मूक बधिर, कुष्ठ, विकलांग, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना।

4. स्वरोजगार अपनाने हेतु महिलाओं/पुरुषों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ललित कला, शिल्पकला, फल एवं खाद्य प्रसंसकरण एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुल्क पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना करना।

5. समाज के निर्बल व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगारपरक बनाना।

6. जन सामान्य नैतिक मूल्यों में सुधार हेतु छुआछूत, जातिवाद, बालश्रम, बाल विवाह तथा महिला उत्पीड़न, भिक्षावृत्ति युवकों में

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

धूम्रपान, मदिरापान आदि के निवारण हेतु जागरूकता शिविरों सेमिनारों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना व गरीब वयस्क युवक युवतियों हेतु दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

7. जन समान्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर टीकाकरण प्रशिक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, पल्स पोलियो शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना व विश्व एड्स दिवस एवं विभिन्न प्रकार के वेलफेयर कार्यक्रमों को समय–समय पर करवाते रहना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे शिशु कल्याण, मातृत्व कल्याण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, एड्स, कैंसर, टी०बी०, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, रक्तचाप, लेप्रेसी, मधुमेह, कुष्ठ, नेत्र विकार, पीलिया, ल्यूकोरिया, आदि की पहचान व रोकथाम हेतु निःशुल्क नर्सिंग होम, अस्पताल, जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं भारतीय उपचार पद्धति, तिब्बतीय योग, स्पर्श उपचार तथा अन्य सभी प्रकार की उपचार पद्धतियों का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना और सम्बन्धित केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना, शासन की अनुमति के पश्चात करना तथा जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शार्ट स्टे होम आदि की स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना।

8. शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों के विकास सुधार व सफाई हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निकाय तथा बोर्ड सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा मलिन बस्तियों में शौचालय, सड़क, नाली, हैण्डपम्प इत्यादि के क्रियान्वयन में सहयोग करना तथा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, पार्कों उद्यानों के विकास पौधशाला जल संचयन उद्यान, संरक्षण स्वजल धारा स्वच्छ पेयजल ग्राम सफाई जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पुष्टाहार मलिन बस्ती विकास हरियाली कार्यक्रम बागवानी विकास पशु पक्षी संरक्षण स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कर क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

9. शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्रबन्धन व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों / तकनीकी बोर्डों एवं शिक्षा विभाग की अनुमती के पश्चात सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय, स्नातक / परास्नातक विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, आवासीय विद्यालय, विकलांग विद्यालय, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कालेज, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, प्रबन्धकीय शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि का व्यवस्था करना तथा शिक्षा के क्षेत्र

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्र-17
11

विश्व विद्यालय सम्बन्धित विभाग एवं समय-समय पर निर्गत होने वाले तत्सम्बन्धी शासनादेशों का पालन करना तथा गरीब मेधावी, अनाथ, छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सभी स्तर तक की शिक्षा भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराना।

10. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धान की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा, अनुदान इत्यादि निर्धारित करना, प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईया गठित करना एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना।

11. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त करना तथा कार्यक्रमो के आयोजनों तथा संस्थाओं की स्थापना के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यो से चंदा लेना और उसका ब्यौरा रखना।

12. न्यास की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तांतरित करना।

13. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

14. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

15. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्तियों की व्यवस्था करना तथा न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकार विभागों तथा केन्द्रों अथवा/एवं राज्य सरकार चेरीटेबुल संस्थाओं/न्यासों/विश्वविद्यालयों/ अकादमिक संस्थाओं भारतीय उद्योग और देश एवं विदेश में रहने वाले व्यक्तियों तथा अन्य निजि सार्वजनिक एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं, सरकारी/गैर सारकारी बैंकों से ऋण, सहयोग, दान तथा अनुदान प्राप्त करना तथा उसका

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

सुसंगत कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के संचालन एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।

16. लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

17. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचायजी बनाकर साक्षरता बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीद कर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

18. समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानव के विचारों को जानने के लिए प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे करना।

19. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन-जायदाद आदि खरीदना, बेचना, प्राप्त करना तथा उन्हें क्रय-विक्रय करना, पट्टे पर लेना-देना, भूमि का हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।

20. यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग का लाभ हो सके।

21. भारतीय संविधान की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्यालय, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलकर सभी समुदाय के छात्र-छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।

6. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था-

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासमण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समिति एवं उपसमितियों का गठन किया जायेगा। गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे अध्यक्ष के पद नाम से भी जाना जायेगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्धमण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे।

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

क्र-17
13

2. न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में चार बार अर्थात हर तीसरे माह आवश्यक रूप से सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में माह में दो बार भी बैठक की जा सकती है। बैठक हेतु न्यासमण्डल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पंजिका/पत्र/ई-मेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्यतः बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी। किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घंटे के अंदर सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकेगी।

3. बैठक का कोरम न्यासमण्डल के 50 प्रतिशत न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जायेगा। सामान्य न्यासमण्डल के बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यास मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4. न्यासमण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेंगे। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यासमण्डल के निर्णय से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम/संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के निलंबन एवं समाप्ति का अधिकार भी न्यासमण्डल का होगा।

5. न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रम एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियों प्रन्बधसमितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियामक संस्था शासन प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग-अलग नियमावली बनाकर तथा उप नियमों का निर्माण करके किया जायेगा। जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यासमण्डल का विधिवत् गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, प्रबन्धसमितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा तथा उसे कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा। न्यास मण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

7. न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था –

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराये गये रु0 11000.00 के अतिरिक्त धन कोष , दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्न लिखित रूप से की जायेगी।

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2. न्यासमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाई जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोला जायेगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान के सम्बन्ध में चल अचल सम्पत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गयी औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जायेगी।

3. किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये चन्दे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4. न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टेड एकाउटेण्ट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जायेगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यास मण्डल

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5. विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किये जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6. मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमों/संस्थाओं/प्रबन्धसमितियों के नाम से विभिन्न बैंक में खाते इत्यादि खोलने एवं बंद करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यासमण्डल की सहमति से होगा।

7. इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था आय–व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

8. न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था–

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

1. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम व शर्तें लागू होगी।

2. न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होगा। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेंगे।

3. न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय अथवा विक्रय करने चल–अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी, न्यास मण्डल की अनुमति से कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर जनहित के कार्य

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।

4. न्यास की किसी भी अचल सम्पत्ति को सामान्यतः बेचने अथवा किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार के साथ हस्तान्तरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी/व्यक्ति को नहीं होगा। यदि न्यासमण्डल किसी सम्पत्ति को निष्प्रयोज्य होने की स्थिति में न्यास के हित में बेचे जाने को आवश्यक एवं अपरिहार्य समझता है तो सक्षम न्यायालय अथवा विधिक रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही उक्त सम्पत्ति अथवा किसी भी भाग की विक्री की जा सकेगी।

5. न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यासमण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध न्यास मण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा मुख्य न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अंतिम होगा।

6. न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्धसमिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्धसमिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबन्धसमिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

7. न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरूद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा। जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्र-17
17

8. न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर/संविदा पर मानद रूप में करेगा तथा न्यास मण्डल न्यास के हित संवर्द्धन के लिए वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों

9. न्यास के कार्य संचालन हेतु समय-समय पर सभी वित्तीय एवं कानूनी जानकारी प्राप्त करेगा। आवश्यकता होने पर आयकर अधिनियम की धारा 12 ए/80 जी में छूट के लिए तथा एफ०सी०आर०ए० के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराएगा।

10. न्यास (ट्रस्ट) का पंजीकरण इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथा न्यास (ट्रस्ट) नॉन-प्रोपराइटरी है।

09. न्यास के अभिलेख-

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

लिहाजा बदुरूस्ती होश हवास अपने बिना किसी जबरजस्ती व दबाब के अपनी खुशी व रजामंदी के गठन व स्थापना के बावत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

न्यास द्वारा स्थापित, संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप से होगी-

शैलेन्द्री शर्मा

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

पृ-17/18

नियमावली—

1.	कार्यक्षेत्र	—	जम्मू एण्ड कश्मीर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष
2.	न्यास के उद्देश्य	—	न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार
3.	न्यास की सदस्यता	—	न्यास मण्डल के मुख्य न्यासी व न्यासी साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे।
4.	सदस्यता	—	किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारण से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अ— सदस्य की मृत्यु हो जाने पर

ब— पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर

स— किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर

द— न्यास के नियमों का पालन न करने पर

य— न्यास के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर

र— लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

ल— त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर

व— अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर

5.	न्यास के अंग	—	न्यास के निम्नलिखित दो अंग होंगे—

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धसमिति

शैलेन्द्री शर्मा

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क–17/19

6. साधारण सभा –

अ– गठन – न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगें।

ब– बैठकें – साधारण सभा की सामन्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

स– गणपूर्ति– साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहुत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा समायवधि का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

द– विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा के विशेष अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जायेगा। जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

य–साधारण सभा 1. प्रबन्धसमिति का चुनाव करना।

2. वार्षिक आय व्यय का बजट पारित करना।

3. न्यास की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना।

4. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना।

5. न्यास को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होगा

6. संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन बहुमत से पारित करना।

प्रबन्धसमिति –

क– गठन –

1. प्रबन्धसमिति के कुल सदस्यों की संख्या 2 होगी।

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शैलेन्द्री शर्मा

क्र-14/20

2. प्रबन्धसमिति का गठन न्यासमण्डल के सदस्यों (साधारण सभा) की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होंगे। परन्तु अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष का चयन साधारण सभा द्वारा नहीं किया जायेगा। क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास के अन्तर्गत संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति का अध्यक्ष होगा। यह शर्त न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा।

3. प्रबन्धसमिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 02 पदेन सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा।

4. प्रबन्धसमिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगा परन्तु अगली प्रबन्धसमिति के गठन तक पिछली प्रबन्धसमिति प्रभावी रहेगी।

ख–बैठकें प्रबन्धसमिति की बैठकें सामान्यता वर्ष में दो बार होगी किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धसमिति इनके अतिरिक्त भी बैठके कर सकता है।

ग–सूचना अवधि प्रबन्धसमिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व आकस्मिक बैठक 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाकद्वारा/दूरभाष द्वारा दिया जा सकता है। दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ–साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।

घ– गणपूर्ति प्रबन्धसमिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

च–रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धसमिति के अंदर रिक्त स्थान होने पर न्यासमण्डल साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

ज्ञानेन्द्री शर्मा

दान पत्र

11,000.00	220.00	100	320.00	38
मालियत की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्याम पचौरी
स्व. सुरेश चन्द्र शर्मा
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 18ए, जगन्नाथपुरी कालोनी कमता लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/11/2017 समय 1:17PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम सिंह
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
2/11/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
दाता

श्याम पचौरी
स्व. सुरेश चन्द्र शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी 18ए, जगन्नाथपुरी कालोनी कमता लखनऊ

शैलेन्द्री शर्मा

शैलेन्द्री शर्मा
पत्नी श्री श्याम पचौरी
पेशा गृहिणी
निवासी 18ए, जगन्नाथपुरी कालोनी कमता लखनऊ

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्र-17/21

8 प्रबन्धसमिति के अधिकार एवं कर्तव्य--

क. संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

ख. संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

ग. आवश्यकतानुसार संस्था/शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करना व उस पर भवन निमार्ण कराना एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय–विक्रय करना एवं पट्टे पर लेना–देना।

घ. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विश्व विद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना व सम्बन्धित वांछित अभिलेखको एकत्र करना व प्रदान करना।

ङ. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय आयोग एवं विभागों अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त निगम, उत्तर प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मंत्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओ से दान अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बंधन/रेहन रखना।

9. प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य --

अ– अध्यक्ष

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए तिथि का अनुमोदन करना तिथियों में परिर्वतन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।

Managing Director
Auxilium College of ...
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

शर्मा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान पुष्पराज सिंह एड.

पेशा वकालत
निवासी सिविलकोर्ट लखनऊ
व जार्ज ऐन्थोनी जायसवाल
डेनिस जायसवाल — J. A. Jaiswal
पेशा नौकरी
निवासी ग्वारी का पुरवा विकास खण्ड-4 गोमतीनगर लखनऊ
ने की ।

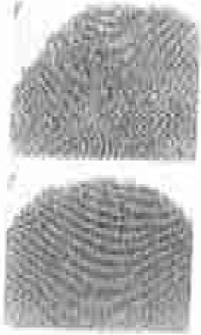

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम सिंह
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
2/11/2017

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्र-17
22

3. सदस्यों के नाम व कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना एवं सुनाना।

4. बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना।

5. संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होगा।

6. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

7. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

8. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।

9. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति निष्कासन वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।

10. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, चैकों, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं अपने पास सुरक्षित रखना।

11. संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृत की प्रत्याशी में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

12. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत देना।

13. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्ति करना।

14. संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण करना।

15. राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

16. संस्थान/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

शैलेन्द्री शर्मा

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

न्यासी

Registration No.: 642 Year : 2,017 Book No. : 4

0101 श्याम पचौरी

स्व. सुरेश चन्द्र शर्मा

1ए, जगतापुरी कालोनी कमता लखनऊ

व्यापार

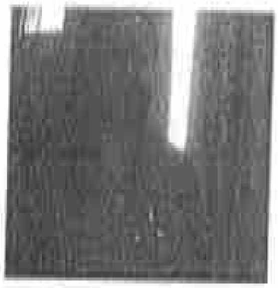

0102 शैलेन्द्री शर्मा

श्याम पचौरी

1ए, जगतापुरी कालोनी कमता लखनऊ

गृहिणी

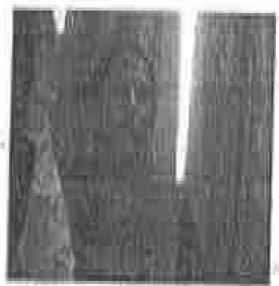

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

07-17/23

17. संस्थान/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।

18. संस्था/शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।

19. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियतंत्रण होगा।

ब. उपाध्यक्ष – 1. अध्यक्ष द्वारा समस्त कार्यों का निष्पादन करना।

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किये गये कार्यक्रमों को पूर्ण रूप देना

3. बैठकों की लिखित सूचना तैयार करना।

4. अध्यक्ष की सहमति समस्त कार्य करना।

10. संस्था/शिक्षण संस्था के कोष–

संस्था/शिक्षण संस्था के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर व एफ0डी0 के रूप में जमा किया जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्धसमिति के स्थान पर दूसरी वैध प्रबन्धसमिति का अनुमोदन न हो जाये।

ट्रस्ट का प्रारम्भिक कोष ग्यारह हजार (11000) रुपये है जिस पर स्टाम्प शुल्क 700 रुपये अदा किया गया।

समक्ष गवाहान दुरुस्त होशोहवास में पक्षकार ने दिनांक 31-10-2017 को अपने हस्ताक्षर कर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

शैलेन्द्री शर्मा

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

गवाह

Registration No.: 642 Year : 2017 Book No. : 4

W1 भूपराम सिंह एड.

सिविललाइंस बाराबंकी

[illegible]

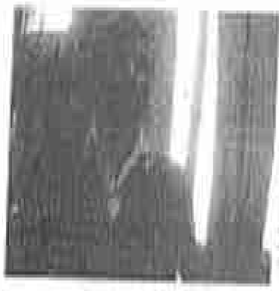

W2 जावेद ऐक्सेसी [illegible]

मौलिक [illegible]

ग्राम व पुख्ता नियामत खण्ड-4 गोमतीनगर लखनऊ

[illegible]

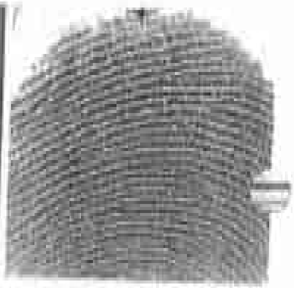

Managing Director
Azilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

क्र-17/24

का निष्पादन किया जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस विलेख का संचालन दिनांक 01-11-2017 को किया गया।

गवाहान –

पट्टाकार / निष्पादक

1. Brij Raj Singh Adv
152 Sanand Nagar Kalyanpur
Lucknow.

1. श्याम तिवारी

J. A. Dyason
2. Jeorge Antoni Dyason
Gvari ka Purwa, Ramach akki
Vikas Khand-4 Gomti Nagar
Lucknow.

शैलेन्द्री शर्मा
2. श्रीमती शैलेन्द्र शर्मा

टाइपकर्ता
(ओंकार सिंह)
लखनऊ

मसविदाकर्ता
(अनिल यादव), एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

आज दिनांक 02/11/2017 को

बही सं 4 जिल्द सं 518

पृष्ठ सं 305 से 342 पर क्रमांक 642

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम सिंह
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
2/11/2017

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki